मौर्य साम्राज्य
(323 बी0सी0–184 बी0सी0)

नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसे जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने सैन्ड्रोकोट्स कहा है। विलियम जोंस पहले विद्वान थे जिन्होने सैन्ड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधार शिला बन गयी है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एन्ड्रोकोट्स कहा था।

मौर्य साम्राज्य के स्रोत

पुरातात्विक स्रोतः–

1. अशोक के अभिलेख
2. कुम्रहार या बुलंदी बाग गांव से प्राप्त भवन अवशेष
3. सिक्के
4. रूद्रदामन का अभिलेख
5. स्मारक, स्तूप, स्तम्भ गुफाएं
6. खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख

साहित्यिक स्रोत–

कौटिल्य का अर्थशास्त्र–पहचान 1909 में कुल 15 भाग एवं 180 अध्याय में विभक्त, श्लोक 4000, सर्वप्रथम 1904 में ई0आर0एम0 शास्त्री ने इसकी पाण्डुलिपि की खोज की थी। अध्याय 2 एवं अध्याय 3 मौर्य शासन पर प्रकाश डालता है। राजनीति पर लिखी गयी है। इसकी तुलना मैक्यावली की पुस्तक "द प्रिन्स'' तथा दांते की मोनालिका से ली जाती है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में राजस्व सम्बंधी विविध विषयों का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना की गयी है। तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण में दीवानी, फौजदारी, तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया है। पंचम अधिकरण में सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख है। छठें अधिकरण में राज्यों के सप्तांगों, स्वामी, अमात्य इत्यादि अंतिम 9 अधिकरण राजा की विदेशनीति, सैनिक अभियान, युद्ध विजय के उपाय, शत्रुदेश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, तथा संधि के

अवसर। प्रजा का हित ही राजा का चरम लक्ष्य हैं। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य का वही स्थान है जो व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी का है।

कौटिल्यः–

पिता–चसक (इसी नाम पर वह चाणक्य कहलाया)

कुटिल योग्यता के कारण कौटिल्य कहलाया

माता–द्रमिल (चाणक्य को इसी नाम पर द्रामिल कहा गया)

अन्य नाम–पक्षिल स्वामी (पक्षियों के पर कतर देने वाला), द्रामिल, माणवक (ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण), द्विजर्षभ (पुराणों में), उपगुप्त, विष्णुगुप्त

विशाख दत्त का मुद्रा राक्षसः–गुप्तकालीन ग्रंथ

चाणक्य द्वारा नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता का उल्लेख। तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओ की जानकारी।

चाणक्य का "चंद्रगुप्त कथा":– चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी

क्षेमेंद्र की वृहत्कथा मंजरी

कल्हण की " राजतरंगिणी"

सोमदेव का " कथा सरित्सागर"

धार्मिक स्रोत :–1. पुराण 2. पतंजलि का भाव्य

बौद्ध साहित्यः–1. जतक 2. दीध निकाय

- दीपवंश एवं महावंश–श्रीलंका में बौध्द धर्म के प्रचार की जानकारी
- वंश थप कासिनी (महावंश पर टीका)– मौर्य उत्पत्ति की जानकारी
- दिव्यावदान–अशोक और उसकी धम्म यात्राओं की जानकारी
- लामा तारानाथ का तिब्बत का इतिहास
- हेम चंद्र का परिशिष्टपर्वन

विदेशी विवरणः–

मेगास्थनीज् की इंडिकाः–यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह विदेशी लेखकों में मौर्य काल से सम्बंधित सबसे विश्वसनीय जानकारी देता है। (इसकी मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है)

स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन एवं प्लिनी (रोमन) लेखकों के उद्धरणों का संग्रह जो किसी न किसी रूप में इंडिका में संकलित है। मेगास्थनीज इसके पूर्व आरकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्युकस का राजदूत रहा चुका था। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय गेंहूँ तथा जौं प्रमुख खाद्यान्न के रूप में लेते है।

मेगास्थनीज के अनुसार समाज में स्रोत जातियाँ थीं–

1. दार्शनिक 2. कृषक 3. पशुपालन 4. शिल्पी 5. सैनिक 6. निरीक्षक 7. सभासद या अन्य शासक वर्ग या मंत्री

मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस (शिव) तथा हेराक्लीज (कृष्णा) की पूजा करते थे।

पाटलिपुत्रः–

मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की काफी प्रशंसा की है। मेगास्थनीज ने बताया भारत में इतिहास लेखन नहीं होता था। पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह 80 स्टेडिया लम्बा तथा 15 स्टेडिया चौड़ा था। इसके चारो ओर 185मी. चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारो ओर से ऊँची दीवार से घिरा था। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद करती थी जिनमें 5–5 सदस्यों वाली छः समितियाँ काम करती थी। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रासाद था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शानोशौकत में सूसा और एकबताना के राजमहल भी उसकी तुलना नही कर सकते थे। मेगास्थनीज ने अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहा है। और कहा कि भारत मे दास प्रथा नहीं थी, अकाल नहीं पड़ते थे।

1. ज्योग्राफी–स्ट्रैबो
2. पेरीप्लस ऑफ दी एरीथ्रियन सी
3. प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका
4. पैरेलल लाइन (प्लूटार्क की)

पुरातात्विक स्रोतः–

1. अशोक के बृहद चौदह शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख
2. खारवेल का हाथी गुम्फा लेख
3. रूद्रदामन का गिरनार अभिलेख
4. तक्षशिला का प्रियदर्शी अभिलेख
5. सोहगौरा ताम्रमत्र
6. दशरथ का नागार्जुनी गुहा अभिलेख

भौतिक अवशेषः–

1. उत्तरी काले पालिशदार मृद्भांड
2. लकड़ी के प्रसाद और विशाल अन्नागार की प्रप्ति

जैन ग्रंथः–

1. भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, तथा भद्रबाहुचरित
2. हेमचंद्र का परिशिष्टपर्वन
3. धुण्डीराज के मुद्राराक्षस पर लिखी टीका
4. सोमदेव का कथा सरित सागर
5. क्षेमेंद्र (कश्मीरी) की वृहत्कथामंजरी

चंद्रगुप्त मौर्य (323–298 ईसापूर्व)

मौर्य वंश की उत्पत्तिः–

विष्णु पुराण में मौर्य को शूद्र कहा गया है। विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंशीय पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बृषल तथा कुलहीन कहा गया है। मुद्राराक्षस के टीकाकार दुण्डिराज ने चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। महाबोधि वंश में इसे राजकुल से सम्बंधित बताया गया है। महावंश में चंद्रगुप्त को मोरिय नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कहा गया है। महापरिनिब्बानसुत्त में मौर्यों को पिप्पलबन शासक तथा क्षत्रिय वंश का कहा गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्टपर्वन में चंद्रगुप्त को "मयूर पोषकों के ग्राम" के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया है। जस्टिन सामान्य कुल में उत्पन्न बताता है। रोमिला थापर में मौर्यो को वैश्य कहा है। स्पुनर ने पारसी बताया है। अर्थशास्त्र एवं दिव्यावदान तथा राधा कुमुद मुखर्जी ने क्षत्रिय बताया है।

चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामः–

सैंड्रोकोट्टस–एथीनियस ने कहा और जस्टिन, पोलीब्रोथस–स्ट्रैबो, एंड्रोकोट्टस–एरियन और प्लूटार्क।

मुद्राराक्षस में निम्न नाम लिखते हैं– पीयदमसम, विशाल, मौर्य पुत्र, चंद्रसीरी, प्रियदर्शन, कुलहीन।

चंद्रगुप्त का प्रारम्भिक जीवन

बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मोरिय नगर का प्रमुख था। जब यह अपनी माता के गर्भ में था, तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गयी। उसकी माता सुरक्षा हेतु भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र पहुँचा दी गयी जहाँ चद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ। जब वह राजकीलीम नामक खेल खेल रहा था तभी चाणक्य उधर से निकला, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वह बालक की भावी प्रतिभा को समझकर उसे 1000 कर्षापण में खरीद लिया और तक्षशिला ले आया। चाणक्य तक्षशिला का आचार्य था। उसने चंद्रगुप्त को सभी प्रकार की शिक्षाएं दीं। तक्षशिला में ही सैनिक शिक्षा ग्रहण करते समय वह सिकंदर से भी मिलाया था। जस्टिन बताता है कि सिकंदर उसकी स्पष्टवादिता से बड़ा रुष्ट हुआ तथा उसे मार डालने का आदेश दिया किन्तु शीघ्रता से भाग कर उसने अपनी जान बचाई।

चाणक्य का लक्ष्य एवं चंद्रगुप्त की प्राथमिक उपलब्धिः–

चाणक्य ने चंद्रगुप्त को निम्न उद्देश्यों के लिए तैयार किया था–

1. यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना
2. नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना
3. चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को ही विदेशियों की दासता से मुक्त किया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है। अर्थशास्त्र के अनुसार, उसकी सेना में निम्नलिखित वर्ग से सैनिक लिए गये थे–

    1. चोर अथवा प्रतिरोधक 2. म्लेच्छ 3. चोर गण 4. आटविक 5. शास्त्रोपजीवी

जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को "डाकुओं का गिरोह" कहता है।

मैक्रिन्डल के अनुसार, उससे तात्पर्य पंजाब के गणजातीय लोगों से है जिन्होने सिकंदर के आक्रमण का प्रबल प्रतिरोध किया था।

मुद्राराक्षस तथा परिशिष्टपर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को पर्वतक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त हुई थी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डा0 ओम प्रकाश ने पर्वतक की पहचान अभिसार के शासक के साथ किये जाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया है।

जस्टिन कहता है कि सिकंदर को मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका तथा उसके गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सान्ड्रोकाट्स (चंद्रगुप्त) था।

प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था।

हेमचंद्र राय चौधरी ने इस कार्य की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत शासक राणा संग्राम से ही जिसने इब्राहीम लोदी का तख्ता पलटने के लिए मुगल सम्राट बाबर आमंत्रित किया था।

बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो में चंद्रगुप्त मौर्य तथा नंदों के युद्ध का बड़ा रोचक वर्णन किया गया है।

चंद्रगुप्त की विजयें

पश्चिमी भारत की विजयः—शक महाक्षत्रय रूद्रदामन के गिरनार अभिलेख (150 ईस्वी) से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल (राष्ट्रीय) था और उसे वहां सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था।

दक्षिण भारतः—जैन परम्परा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की। दोनों श्रवणबेलगोला (कर्नाटक राज्य) नामक स्थान पर आकर बस गये।

यहीं चंद्रगिरि नामर पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था । वहां चंद्रगुप्त बस्ती नामक एवं मंदिर भी है। यह क्षेत्र चंद्रगुप्त के राज्य में ही रहा होगा।

सेल्युकस के विरुद्ध युद्ध

सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्युकस हुआ। वह एन्टीओकस का पुत्र था। बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली।एपीआनस लिखता है कि सिन्धु नदीपार करके सेल्युकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गयी तथा एक वैवाहिक सम्बध भी स्थापित हो गया।

संधि की शर्ते निम्न थी–

1. सेल्युकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया।
2. चंद्रगुप्त को निम्न प्रांत दहेज मे प्राप्त हुआ
    - एरिया (हेरात)
    - अराकोशिया (कंधार)
    - जेड्रोसिया (मकरान)
    - पेरीपेनिस डाई (काबुल)
3. चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथियाँ उपहार में दिया।
4. अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में रख दिया।
    - इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम ईरानी शासक यूथीडेमस को हराया।
    - प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की अंगरक्षक महिलाएँ थी।
    - मिलिदपन्हो से पता चलता है कि घनानंद का सेनापति भद्रशाल चंद्रगुप्त से मिल गया था।
    - शकटार नामक नंद वंशीय मंत्री चंद्रगुप्त का साथ दिया था।
    - जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है।

बिंदुसार "अमित्रघात" (198 बी0सी0–273बी0सी0)

पिता	–	चंद्रगुप्त मौर्य
माता	–	दुर्धरा (जैन ग्रंथ)
धर्म	–	आजीवक

अन्य नाम–

1. भद्रसार	–	वायु पुराण
2. सिंह सेन	–	जैनग्रंथ
3. सीमसेन	–	राजावली कथा
4. बिन्दुपाल	–	फा प्येन चुलीन (चीनीसाहित्य)
5. आल्ली द्रोचड़स	–	स्ट्रैबो
6. अमित्रोचेट्टस	–	एथेनियस
7. अभित्र खण्ड	–	दुश्मनों को खाने वाला (संस्कृत)
8. अभित्रघात	–	दुश्मनों की हत्या करने वाला (संस्कृत)
9. अभित्र केटे/अभित्रोकेडीज	–	यूनानी ग्रंथ

चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार शासक बना।बिन्दुसार के शासन काल में कुछ समय तक चाणक्य विद्यमान था। उसके बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री बना तारा नाथ के अनुसार बिन्दुसार 16 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुन्द्रों के बीच के सम्पूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। दिव्यावदान तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है जिसको दबाने के लिए बिन्दुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक ने उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए वहाँ शक्ति एवं व्यवस्था स्थापित किया। उस समय अशोक उज्जैन का उपराज्यपाल था।तारानाथ के अनुसार "खस" एवं नेपाल के विद्रोह को भी अशोक ने शांत किया और जीता। पता चलता है कि इसी प्रकार का एक अन्य विद्रोह को भी अशोक ने शांत किया और जीता। पता चलता है कि इसी प्रकार का एक अन्य विद्रोह तक्षशिला में सुशीम ने दबाया था। बिन्दुसार अपने वैदेशिक सम्बंधों के कारण इतिहास में अधिक जाना जाता है। कई विदेशी राजदूत उसके दरबार में रहते थे।

- स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा अंतियोकस ने डाइमेकस नाम का अपना एक राजदूत बिन्दुसार की राजसभा में भेजा था, मेगास्थनीज के स्थान पर।

- प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा प्लिनी द्वितीय फिलाडेल्फस (285–84बी0सी0) ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था।
- एथेनियस नामक यूनानी इतिहासकार सीरिया के राजा अंतियोकस प्रथम तथा बिन्दुसार के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देता है जिसमें भारतीय शासक ने सीरिया नरेश से तीन वस्तुओं की मांग की थी–

  1. मीठी मदिरा 2. सूखी अंजीर 3. एक दार्शनिक

- सीरिया नरेश ने दार्शनिक छोड़कर दोनों वस्तुए भेजवा दी। दिव्यवदान के अनुसार बिन्दुसार के दरबार में पिंगलवास नामक आजीवक सम्प्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था। थेरवाद परम्परा के अनुसार, बिन्दुसार ब्रहमण धर्म का अनुयायी था जिसका प्रधान खल्लाटक था।

DSC A UNIT OF DHYEYA IAS

अशोक (273–232बी0सी0)

जन्म – 304 ईसा पूर्व

पिता – बिन्दुसार

माता – चम्पा के ब्रहमण की पुत्री सुभद्रांगी (दिव्यावदान) (धर्मा दक्षिण)

पत्नी – मुख्यरानी, असंधमित्रा

पुत्र – महेन्द्र एवं संधमित्रा

अन्य नाम–

1. अशोक – व्यक्तिगत नाम था
2. पियादासी – अधिकारिक नाम था
3. देवनांप्रिय – राजकीय उपाधि थी
4. अशोक – मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम अभिलेख में
5. मगध का राजा – भाबू लेख में
6. अशोक मौर्य – जूनागढ़ अभिलेख में
7. अशोक बर्द्धन – पुराणों में
8. पियदासी – कंधार अभिलेख
9. पियादासी राजा – बराबर गुफा अभिलेख

अशोक की रानियाँः–

1. तिष्यरक्षिता या तिसारख –बौद्ध वृद्ध को क्षति पहुंचायी थी
2. करूवाकि– इलाहाबाद अभिलेख (रानी का अभिलेख) में उल्लेखित तीवर की माता
3. पद्मावती – कुणाल की माता (दिव्यवदान)

अशोक एक शासक

बिन्दुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राजय की राजधानी पर आसीन हुआ यद्यपि अशोक के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए है लेकिन उसके प्रारम्भिक जीवन की जानकारी बौद्ध ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। दिव्यवदान से पता चलता है कि अशोक अपने पिता के शासन काल में अवन्ति (उज्जयिनी) का उपराजा था। बिन्दुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। सिंहली अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि

अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर, राज सिंहासन पर विराजमान हुआ लेकिन अशोक के पांचवें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। साथ ही उसके शासन के 13वें वर्ष उसके भाई बहन जीवित थे। बौद्ध ग्रंथ उसे "चण्ड अशोक" भी कहते है। सिंहली परम्परा से पता चलता है कि अशोक उज्जयिनी जाते समय विदिशा में रूका और एक श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह कर लिया जिसका नाम "देवी" था।

- महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिश महादेवी (शाक्य नीति) मिलता है। इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ।
- दिव्यावदान में उसकी एक अन्य पत्नी तिष्य रक्षिता का नाम मिलता है।
- लेखों में तीवर की माता करूवाकि नामक पत्नी का उल्लेख है। दिव्यावदान से पता चलता है कि सुशीम (सुमन) तथा विगताशोक नामक भाई भी थे। अशोक 273बी0सी0 में मगध की गद्दी पर बैठा लेकिन राज्याभिषेक 269 बी0सी0 में हुआ था।

अशोक के जीवन के तीर चरण

तारानाथ के अनुसार–

कामाशोक	–	आनंद दायक गतिविधियों की प्राप्ति के चरण
चंडाशोक	–	अनैतिकता के चरमोत्कर्ष का चरण
धम्माशोक	–	दया का राजा

अशोक ने कश्मीर में ''श्री नगर'' एवं नेपाल में ''देवपाटन'' नामक नगर बसाया।

कलिंग की विजयः–अपने राज्यभिषेक के बाद अशोक ने अपने पिता एवं पितामह की दिग्विजय की नीति को जारी रखा, अशोक उसी कड़ी में अपने शासन के नवे वर्ष कलिंग के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। तेरहवें शिलालेख में कहा गया है कि–"इसमें एक लाख पचास हजार व्यक्ति बन्दी बनाकर निर्वासित कर दिये गये। एक लाख लोगों की हत्या कर दी गयी। कलिंग को विजित कर, दो अधीनस्थ प्रशासनिक केन्द्र बना दिये गये–

1. उत्तरी केन्द्र – राजधानी तोसली
2. दक्षिणी केन्द्र – राजधानी जौगढ़

युद्ध का कारणः– 1. रोमिला थापर के अनुसार कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था तथा अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थी।

हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हुआ जो बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से प्रारंभ हुआ था।

कल्हण अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक बताता है। अशोक कश्मीर के बिहार में "अशोकेश्वर" नामक मंदिर का निर्माण किया था।

अशोक और उसका धम्म

अशोक अपने प्रारंभिक वर्षो में ब्रहमण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी उसे शिव का उपासक बताता है। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक सातवर्षीय भिक्षु ने बौद्धमत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोग्गलिपुत्रतिस्स के प्रभाव से वह पूर्णरूपेण बौद्ध बन गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षू को प्रदान करता है। तेरहवें शिलालेख में (कलिंग) अशोक सोत्साह अभिलाषा, सोत्साह शिक्षा करता है, अतः इसी वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया होगा। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2½ वर्ष तक वह साधारण उपासक बना रहा। अपने इस नवीन मत–परिवर्तन की सूचना देने के लिए अशोक अभिलेख के दसवें वर्ष सम्बोधि (बोधगया) की यात्रा की। बीसवें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम गया तथा एक पत्थर की दीवार तथा शिला स्तम्भ खड़ा किया तथा लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त घोषित कर मात्र 1/8 भाग लेने की घोषणा की। अशोक नेपाल की तराई में स्थित निग्लीवा में कनक मुनि (एक पौराणिक बुद्ध) के स्तूप को सम्बर्द्धित एवं द्विगुणित कराया। भाब्रू (बैराट राजस्थान) से प्राप्त लघु शिला लेख में वह

1. बुद्ध 2. धम्म3. संघ का अभिवादन करता है।

सारनाथ, सांची, कौशाम्बी लघु स्तम्भों पर वह बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है सांची के लधु स्तम्भ लेख में, वह बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं एव भिक्षुणियों को चेतावनी देता है जो कोई भिक्षु या भिक्षणी संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जायेगा। अशोक आजीवन उपासक ही रहा और वह कभी भी भिक्षु अथवा संघाध्यक्ष नहीं बना। महावंश के पता चलता है कि अपने अभिषेक के 18वें वर्ष अशोक ने लंका के राजा के पास भेजे गये एक संदेश में बताया था कि वह शाक्य पुत्र गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन गया। अशोक इतना सब होते हुए सहिष्णु

शासक था। उसने बराबर (गया) पहाड़ी पर आजीवक सम्प्रदाय के लिए गुफाएं निर्मित करवायी थीं– 1. कर्ण 2. चोपर 3. सुदामा गुफा 4. विश्व झोपड़ी गुफा। यवनजातीय तुषाष्प को काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था (जूनागढ़ अभिलेख) राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर में उसने विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। **रोमिला थापर** का विचार है कि अशोक की धम्मनीति सफल नहीं हुई। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे, साम्प्रदायिक संधर्ष चलते रहे। **नीलकंठ शास्त्री** ने कहा है कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। अशोक ने किसी को बलपूर्वक अपने मत में दीक्षित नहीं किया। वह सातवें शिलालेख में कहता है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वह सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते है। 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि "मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए।"

अशोक का धम्मः–अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म, संस्कृत के "धर्म" का ही प्राकृत रूपान्तर है। धम्म क्या है ? उसके संदर्भ में अशोक अपने दूसरे स्तम्भ लेख में स्वयं प्रश्न करता है। किन्तु चु धम्मे ? (धम्म क्या है)। दूसरे तथा सातवें स्तम्भ लेख में उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं–अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचेसोचये मादवे साधेवच। असिनव को अशोक तीसरे स्तम्भ लेख में पाप कहता है। मनुष्य असिनव के कारण सद्गुणों से विचलित हो जाता है। निम्नलिखित दुर्गुणों से असिनव हो जाते है– 1. चण्डता 2. निष्ठुरता 3. क्रोध 4. घमण्ड 5. ईर्ष्या

धम्म तथा उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। नवें शिलालेख में वह मानव जीवन के विविध अवसरों पर किये जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है तथा अल्प फल वाला बताता है तथा धम्म–मंगल को महाफल वाला बताता है और धम्म–मंगल दासों नौकरों के साथ उचित व्यवहार, गुरूजनों के प्रति आदर, प्राणियों के प्रति दया आदि आचरणों से प्रकट होता है।11 वें शिलालेख में धम्मदान की तुलना सामान्य दान से करते हुए श्रेष्ठतर बताया है। धम्मदान का अर्थ है– धम्म का उपदेश, धम्म में भाग लेना, धम्म से अपने को सम्बन्धित करना। 13वें शिलालेख में अशोक सैनिक विजय की तुलना धम्म विजय से करता है कभी। नियुक्त नहीं

हुए थे। इस कार्य विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था।

दिव्य रूपों का प्रदर्शनः—अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते है।

लोकोपकारिता के कार्यः—मानव तथा पशुजाति के कल्याण कार्य किया, पशु पक्षियों की हत्या पर रोक, चिकित्सालय स्थापना, औषधि उपलब्ध कराना, मार्गों में वट वृक्ष (सातवें स्तम्भ लेख), आम्रवाटिका लगावाएं, आधे–2 कोस पर कुएँ खुदवाकर विश्राम गृह बनवाये।

धर्म लिपियों का खुदवाना : —पाली

विदेशों में धर्मप्रचारकों को भेजनाः—तृतीय बौद्ध संगीति के समाप्ति के पश्चात निम्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गये (महावंश)।

धर्म प्रचारक	देश
1. मज्झन्तिक	कश्मीर तथा गांधार
2. महारक्षित	यवन देश
3. मज्झिम	हिमालय देश
4. धर्मरक्षित	अपरान्तक
5. महाधर्म रक्षित	महाराष्ट्र
6. महादेव	महिषमण्डल (मैसूर अथवा मान्धाता)

धम्म का स्वरूपः—अशोक के धम्म के अर्न्तगत जिन सामाजिक तथा नैतिक आचारों का समावेश किया गया वे वही है जिन्हें सभी सम्प्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते है इसमें किसी भी दार्शनिक अथवा तत्व मीमांसीय प्रश्न की न तो समीक्षा की गयी है न ही बुद्ध के चार आर्य सत्यों का उल्लेख है अतः विद्वानों ने धम्म को भिन्न–2 रूपों में देखा है –

फ्लीट ने—इसे राजधर्म माना है जिसका विधान अशोक ने अपने राजकर्म चारियों के पालनार्थ किया था।

रमाशंकर त्रिपाठी एवं विंसेट स्मिथ—समर्थन किया

रोमिला थापर के अनुसार—अशोक का अपना अविष्कार था

धम्म प्रचार के उपायः–

1. धम्मयात्राओं का प्रारंम्भः–10वें वर्ष बोधगया की यात्रा पर जाकर शुरुआत किया। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा।
2. राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्तिः– स्तम्भ लेख तीन एवं सात से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने से आदेश दिया। प्रति पांचवे वर्ष अपने–अपने क्षेत्रों में अधिकारी दौरे पर जाया करते थे।
3. धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था।
4. धर्म महामात्रों की नियुक्ति– अपने धम्म प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्ममहामात्र कहा गया है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्र का वर्णन है।
5. रक्षित – बनवासी (उत्तरी कन्नड़)
6. सोन तथा उत्तर –सुवर्ण भूमि
7. महेंद्र तथा संधमित्रा – श्री लंका

महेंद्र ने श्री लंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया बाद में तिस्स ने देवानामपिय की उपाधि ग्रहण कर ली।

अशोक के अभिलेखः–अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे हैं। अशोक के अभिलेखों का इतना महत्व है कि डी0आर0 भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक स्तम्भों की खोज सर्वप्रथम 1750 में पाद्रेटी में फेंथैला (टेली पैन्थर) ने की थी लेकिन सर्वप्रथम 1837 में जेम्सप्रिंसेप ने पहली बार उद्घाचन किया लेकिन देवानांपिय की पहचान श्री लंका नरेश तिस्स से कर डाली। अततः 1951 ई0 में मास्की से प्राप्त लेख में "अशोक " नाम भी पढ़ लिया गया तब जाकर वास्तविक पता चल सका।

अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्गो में किया जा सकता है–1. शिलालेख 2.स्तम्भ 3. गुहा लेख।

शिला लेखः– शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो आठ भिन्न–भिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये हैं–

1. शाहबाज गढी (पेशावर) – फ्रांसीसी अधिकारी– खरोष्ठि
2. मानसेहरा (हजारा जिला)– कैप्टन के 1889
3. कालसी (दूहरादून) – कै0 फॉरेस्ट
4. गिरनार (गुजरात) – कैप्टन टाइ 1822
5. धौली (डउ़ीसा के पूरी जिले में) – किट्टो
6. जैगड़ (उड़ीसा के मंजाम जिले में)
7. एर्रगुडि (आंध्रप्रदेश के कर्नूल जिले में) – अणुधोष
8. सेपारा (महाराष्ट्र के थानो जिले में)

धौली तथ जौगड़ शिलालेखों पर 11 वें 12 वें तथा 13 वें शिलालेख उत्कीर्ण नही किये गये है। उनके स्थान पर दो पृथक् लेख है जिसे कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है।अशोक कलिंग के नगर–व्यवहारिकों को न्याय के मामले मे उदार तथा निष्पक्ष होने का आदेश देता है।

प्रथम शिला लेखः–

1. अहिंसा की नीति
2. पशुवध निषेध
3. अंत महामात्य का उल्लेख– पशुवध तो निषेध था लेकिन प्रतिदिन दरबार में तीन जीवों को मारने की अनुमति थी 2 मोर और 1 मृग
4. अन्त महामात्य का उल्लेख

द्वितीय शिला लेखः–

1. लोक कल्याणकारी कार्य करने का उल्लेख है।

2. इसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल, तालाब तथ वृक्ष लगवाया, इसमें 3 दक्षिणी राज्यों का उल्लेख है–

- चोल
- पांड्य
- सतीय पुत्र या केरल पुत्र

यहां पर चिकित्सालय स्थापति करवाया था। ताम्रपणी (श्रीलंका) का भी उल्लेख मिलता है।

तृतीय शिलालेखः–

- प्रति पांचवें वर्ष अधिकारियों द्वारा यात्राओं का उल्लेख है अपने राज्यभिषेक के 12 वें वर्ष में शुरू कराया।
- परिषा शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है परिषद।
- युक्त नामक अधिकारी का उल्लेख है जो राजस्व का लेखा रखता है।
- प्रादेशिक (मंडल का प्रधान) का उल्लेख
- रज्जुक का उल्लेख

चतुर्थ शिलालेखः–नैतिक नियमों का उल्लेख। अशोक कहता है कि अब युद्ध के नगाड़ों की जगह धम्म की आवाज सुनाई देनी चाहिए।

पंचम अभिलेखः–

- धर्म महायात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है।
- इसके अशोक के भाइयों के अन्तःपुर का उल्लेख है।
- गंधार एवं राण्ड्रिक प्रदेश का उल्लेख।
- धम्म महामात्र कैदियों की भी देखभाल करते थे।

छठा शिलालेखः–

- ऋण तथा स्वर्ग की अवधारणा का उल्लेख है इसमें अशोक के (राजस्व सम्बंधी सिद्धांत) का उल्लेख है। प्रजावत्सलता का सिद्धान्त।
- अशोक कहता है समस्त प्राणी हमारे पुत्र के समान है।
- इसी अभिलेख में अशोक ने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी क्षण किसी स्थान पर मुझसे मिल सकता है, संघ लोक हित ही मेरा कर्तव्य है।
- अशोक ने इसमें आत्म संयम की शिक्षा दी है।
- मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन है।

- महामात्य का उल्लेख है ऋण का उल्लेख है।
- अशोक कहता है सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है।

सातवां शिलालेखः—अशोक ने सभी सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता का उपदेश दिया। इसमें अशोक की धर्म यात्राओं का वर्णन है साथ ही अन्य सम्प्रदायों जैसे— 1. ब्रहमण 2. संघ 3. निग्रंथ 4. आजीवक

13वां शिलालेखः—यह कलिंग विजय के बाद स्थापित किया गया पहला अभिषेक है। इसमें— 1. योन त्यवन 2. कम्बोज 3. गंधार 4. रठिक—महाराष्ट्र 5. भोजक 6. पितिनिक — पैठन में 7. आंध्र 8. नाभक 9. नाभपति 10. पारिभिदस आदि समीपवर्ती राज्यों की सूची प्राप्त होती है इस अभिलेख से अशोक की विदेश नीति का पता चलता है अशोक ने अपने राजदूतों को निम्न देशों में भी भेजा था।

1. सीरिया नरेश अन्तियोक
2. तुरमय (मिस्री नरेश) —टाल्मी द्वितीय फिलाडेल्कस
3. मेसी डोनियन राजा अन्तिकिन (एंटी गोनस)
4. मग (एपिरस) सीरियाई नरेश मगश—अलेक्जेन्डर
5. अलिक सुन्दर (सिरीन)

इसी शिलालेख में अशोक ने 1. चोल 2. पांडय 3. ताम्रपर्णी 4. सतीय पुत्र 5. केरल पुत्र। इस लेख में कहा गया है कि—"जहां देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुंचे वहां के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विद्यान तथा धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते है।"
इस अभिलेख में अशोक की हिंसा नीति का पता चलता है अशोक ने लिखा कि यदि— "जंगल के निवासी (अटवी जाति) उसकी बात नही मानेगा तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा।"
इसी अभिलेख से कलिंग आक्रमण तथा उसके हृदय परिर्वतन का उल्लेख है। अशोक कहता है कि धम्म विजय ही असली विजय है अशोक धोषणा करता है इसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा, सोत्साह शिक्षा का पालन करेगा।"

आठवां शिलालेख :—

- बोधि वृक्ष की यात्रा
- आनंद यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा

नवां शिलालेखः–

- विभिन्न समारोहों की निर्रथकता का उल्लेख
- धम्म के समारोह के आयोजन पर बल
- शिक्षकों का सम्मान ब्रहमणों व श्रमणों को दान
- धर्म मंडल को श्रेष्ठ कहा गया है।

दशवां वृद्ध शिलालेखः–

- अशोक की इच्छा, संसार के लिए नही अपितु धम्म की प्रसिद्धि के लिए है।
- पराक्रम को आवश्यक बताया गया है। इसके लिए आत्म परीक्षण, उत्साह तथा ध्यान आवश्यक है।

ग्यारहवां शिलालेखः–

- धम्म का सार
- धर्म दान को महत्वपूर्ण
- धर्म के वरदान को सर्वोच्च कहा गया है।

बारहवां शिलालेखः–इसमें धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण मिलता है बिना कारण अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करना चाहिए और न ही दूसरे धर्म की निंदा करनी चाहिए। इसमें तीन अधिकारियों के उल्लेख मिलते हैं।

- धम्म महामात्र – ये न्याय का कार्य करते है।
- स्त्रीध्यक्ष – आचरण नियंत्रक था
- वज्रभूमिक – पशुधन का अधिकारी

14वां शिलालेखः–प्रजा के प्रति पुत्रवत प्रेम का विवरण मिलता है और सभी को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है तथा सभी धर्मों का सार है।

पृथक् कलिंग अभिलेखः–प्रथम कलिंग अभिलेख अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाय। बिना कारण किसी को दण्ड या यातना न दी जाए और सभी

के साथ न्याय किया जाए क्योंकि समस्त मनुष्य मेरी संतान है। दूसरे पृथक् कलिंग अभिलेख में लिखा है कि–"सीमान्त जातियों को राजा से भय नही करना चाहिए यदि वे धम्म का पालन करेंगें तो राज उन्हें क्षमा की प्राप्ति होगी।"

लघु शिला लेखः–

1. रूपनाथ (म0प्र0 के जबलपुर)
2. गुजर्रा (म0प्र0 के दतिया जिले)
3. सहसाराम (बिहार)
4. भाब्रू (वैराट–राजस्थान)
5. मास्की (कर्नाटक के रायचूर)
6. ब्रह्मगिरि (कर्नाटक के चित्तल दुर्ग)
7. सिद्धपुर (कर्नाटक के चिन्तल दुर्ग)
8. जटिंग रामेश्वर (कर्नाटक के चिन्तल दुर्ग)
9. एर्रगुडि (आध्रप्रदेश)
10. गोविमठ (मैसूर)
11. पालकिगुण्डु (मैसूर)
12. राजुल मंडगिरि (आंध्र)
13. अहरौरा (उत्तर प्रदेश)
14. सारोमारा (म0 प्र0)
15. पनगुडरिया (म0 प्र0)
16. नेत्तूर (कर्नाटक)
17. सन्नाती (कर्नाटक)

स्तम्भ लेखः–इन लेखों की संख्या 7 है जो छः भिन्न–भिन्न स्थानों में पाषाण स्तम्भों पर उत्कीर्ण पाये गये हैं–

1. **दिल्ली टोपरा स्तम्भ लेखः**–यह उत्तर प्रदेश के सहारन पुर (खिज्राबाद) जिले में गड़ा था फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली मंगवाया था। इस पर अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि अन्य पर छः

2. **दिल्ली मेरठः–** फिरोज तुगलक दिल्ली लाया।
3. **लौरिया अरराज** :–बिहार के चम्पारन जिले में।
4. **लौरिया नंदनगढ़** :– बिहार के चम्पारन जिले में।
5. **राम पुरवाः–** बिहार के चम्पारन जिले में।
6. **प्रयागः–** कौशाम्बी का अभिलेख

कौशाम्बी स्तम्भ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले मे स्थापित करा दिया था। इस अभिलेख पर –

1. समुन्द्रगुप्त 2. जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है

ये लेख दो प्रकार के है– 1. लेखयुक्त 2. लेखविहीन

लेखयुक्त स्तम्भ पर सिंह की प्रतिमा बनी है। लेख विहीन स्तम्भ पर वृषभ की प्रतिमा बनी है। संकिसा (लौरिया नंदनगढ़) अभिलेख पर हाथी की प्रतिमा है। प्रथम स्तम्भ लेख में सभी व्यक्तियों से धम्म अपनाने का आग्रह किया गया है। दूसरे स्तम्भ लेख में अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया करने तथा दान देने को आग्रह किया गया है। तीसरे स्तम्भ में असिनव का उल्लेख है। असिनव अध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते है। चौथे स्तम्भ लेख में एक सामान दंड संहिता एवं एक समान व्यवहार संहिता का उल्लेख है। पांचवें स्तम्भ लेख में कुछ निश्चित दिन प्राणी हत्या पर रोक लगाना। छठे स्तम्भ, सातवें स्तम्भ लेख में अशोक ने जनता को धर्म संदेश दिया है जो धर्म श्रवण कहलाता है। इसमें आजीवकों का उल्लेख है इसी में सराय बनवाने, दान देने, गुफा दान, मिस्र में दवाखाना खुलवाने का वर्णन है।

लघु स्तम्भ लेखः–इसमें उसकी राजकीय घोषणाएं हैं। इससे अशोक की शासन नीति का पता चलता है जो भिन्न स्थानों से मिले है।

1. सांची (रायसेन जिला,मध्यप्रदेश)
2. सारनाथ (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)
3. कौशाम्बी (इलाहाबाद के समीप)
4. रूमिनदेई (नेपाल की तराई में स्थित)
5. निग्लीवा (निगासी सागर) – नेपाल की तराई में

कौशाम्बी के लघु स्तम्भ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तम्भों में अशोक की रानी करूवाकी द्वारा दान दिये जाने का उल्लेख है, इसे "रानी का अभिलेख" भी कहा जाता है।

सबसे छोटा स्तम्भ लेख –रूमिनदेई

सबसे बड़ा स्तम्भ लेख –दिल्ली टोपरा

कालशी स्तम्भ लेख में एक सिंह वाला शीर्ष पाया गया है। सारनाथ स्तम्भ लेख में अशोक का नाम 'धर्म अशोक' मिलता है।

भाब्रू शिलालेखः–राजस्थान के बैराठ जिले से प्राप्त भब्रू लघु शिलालेख से बौद्ध अशोक के बौद्ध धर्मानुयायी होने का पता चलता है। इसमें अशोक ने स्वयं को "बुद्ध शाक्य" कहा है। साथ ही "मगध का राजा" कहा है। यही एकमात्र अभिलेख पत्थर पर वस्त्रोफेदन तरीके से खुदा है।

शरे कुना अभिलेखः– 1. आरमेइक तथा ग्रीक लिपि में 2. अफगानिस्तान के प्रथम लघु स्तम्भ लेख में अशोक के साम्राज्य को 'द्वीप' कहा गया है।

सेहगौरा तथा महास्थान लेख–अशोक के प्रभाव से बहेलिए तथा मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी, इसी अभिलेख में अन्नभंडार का भी उल्लेख है।

एर्रगुडिः–अभिलेख में लेखक का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख में–

सम्प्रदाय के लिए	–	पासण्ड
ब्राह्मण के लिए	–	बहमन
जैनों के लिए	–	निग्रंथ

अभिलेख चार भाषाओं में–

1. ब्रहमी
2. खरोष्ठि (शाहबाज गढ़ी तथा मान सेहरा)
3. अरामेइक–1. कंधार(लगमान) 2.तक्षशिला 3. शरेकुना
4. यूनानी

महत्वपूर्णः–शेर कुना – आरमेइक तथा यूनानी लिपि में – द्विभाषी

मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणः– अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के बाद कुणाल शासक बना

(पुराण); जिसे दिव्यवदान में धर्म विहीन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालौक कश्मीर का शासक था। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग–अलग कारण प्रस्तुत किये हैं।

इतिहासकार	पतन के कारण
1. प्रसाद शास्त्री	धार्मिक नीति (ब्रहमण विरोधी नीति)
2. हेमचंद्र राय चौधरी	अहिंसक एवं शान्ति प्रिय नीति
3. डी0 एन0 कोसांवी	आर्थिक कारण (संकट ग्रस्त अर्थ व्यवस्था)
4. डी0 एन0 झा	कमजोर उत्तराधिकारी
5. रोमिला थापर	1. केंद्रीय प्रशासन 2. अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना

मौर्य संस्कृति :–मौर्य प्रशासन के अन्तर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीयकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नही होता था। मौर्यकाल में गणराज्यों का हास होने लगा था जिसके परिणाम स्वस्थ राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्यकाल में काफी मजबूत हो रही था। मौर्य शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त में विश्वास नही करते थे। बल्कि वे पितातुल्य शासन व्यवस्था में विश्वास करते थे। फिर भी अशोक ने स्वयं को ईश्वर का प्रिय कहा है। सम्राट सैनिक, न्यायिक, वैधानिक और कार्य पालिका सभी का प्रमुख था। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में कौटिल्य ने राज्य निर्माण की निम्न अवधारणा दी है। कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य कई छोटे–2 अवयवों से मिलकर बना है जिनकी संख्या सात है जिसे सप्तांग कहा गया है–

1. राजा 2. अमात्य 3. जनपद 4. दुर्ग 5. कोष 6. बल 7. मित्र

शासन को चलाने के लिए तीन अंग थे–

1. मंत्रिणः – 4 सदस्य
2. मंत्रि परिषद– 18 सदस्य
3. अध्यक्ष – 28 सदस्य

मंत्रिणः–मंत्रिणः के सदस्य को 48 हजार वेतन मिलते थे। वर्तमान कैबिनेट की तरह

1. युवराज 2. सेनापति 3. प्रधानमंत्री 4. कोषाध्यक्ष

मंत्रि परिषदः—मंत्री परिषद के सदस्य को 12 हजार पण वार्षिक वेतन मिलता था ये अलग—2 विभागों के प्रमुख होते थे। इन्हे तीर्थ कहा जाता था।

	तीर्थ	संम्बधित विभाग
1.	पुरोहित	प्रधान मंत्री
2.	सेनापति	युद्धविभाग का मंत्री
3.	युवराज	राजा का उत्तराधिकारी
4.	समाहर्ता	राजस्व विभाग का प्रधान (वित्तमंत्री)
5.	सन्निधाता	राजकीय रोषाध्यक्ष
6.	प्रदेष्टा	फौजदारी न्यायालय का न्यायधीश
7.	नायक	सेना का संचालक/ नगर रक्षा का अध्यक्ष
8.	कर्मान्तिक	उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष
9.	दण्डपाल	पुलिस अधिकारी
10.	व्यवहारिक	नगर का प्रमुख न्यायधीश
11.	नागरिक(पौर)	नगर कोतवाल
12.	दुर्गपाल	राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष
13.	अंतपाल	सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक
14.	आटविक	वन विभाग का प्रधान
15.	चौवारिक	राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान
16.	आन्तर्वशिक	अंतःपुर का अध्यक्ष
17.	मंत्रि परिषदाध्यक्ष	परिषद का अध्यक्ष

मंत्रिपरिषद के कार्यः—

1. अनावरण कार्य को प्रारम्भ करना
2. आरम्भ कार्य का पूर्ण करना
3. पूरे हुए कार्य में सुधार करना
4. राजकीय आदेशों का कठोरता से पालन करना।

अध्यक्षः—मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी थे। जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। कुछ अध्यक्ष निम्न हैं जो वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी के समान होते थे। यूनानियों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। जैसे—

1.	अकाराध्यक्ष	खान एवं धातुओं का कर्म नियंत्रक
2.	अक्षपटलाध्यक्ष	लेखा नियंत्रक
3.	अश्वाध्यक्ष	अश्वारोही सेना का अध्यक्ष
4.	आयुधगाराध्यक्ष	आयुध विभाग का अध्यक्ष
5.	बंधनगाराध्यक्ष	कारागार का अध्यक्ष
6.	देवताध्यक्ष	मंदिर का अध्यक्ष
7.	द्यूताध्यक्ष	द्यूतक्रीड़ा का अध्यक्ष
8.	गणिकाध्यक्ष	मनोरंजनकर्ताओं का नियंत्रक
9.	गोध्यक्ष	राजसी मवेशियों का अध्यक्ष
10.	हस्त्याध्यक्ष	हाथी दल का सेनाध्यक्ष
11.	खान्या	खान का अध्यक्ष
12.	कोषाध्यक्ष	कोष का अध्यक्ष
13.	कोष्टा गाराध्यक्ष	गोदाम का अध्यक्ष
14.	कुप्यागाराध्यक्ष	वन उत्पादों का अध्यक्ष
15.	लक्षणाध्यक्ष	टकसाल का प्रमुख
16.	लवणाध्यक्ष	नमक युक्त
17.	लोहा ध्यक्ष	धातुओं का अध्यक्ष
18.	मनाध्यक्ष	सर्वेक्षक एवं समयापालक
19.	मुद्राध्यक्ष	पारपत्र अधिकारी
20.	नागवाध्यक्ष	हाथी वनपाल
21.	नावाध्यक्ष	जहाज वाहन नियंत्रक
22.	पण्याध्यक्ष	राज्य व्यापार नियंत्रक
23.	पर्तनाध्यक्ष	बंदरगाह नियंत्रक
24.	पत्याध्यक्ष	पैदल सेनाध्यक्ष
25.	पौतवाध्यक्ष	माप तौल नियंत्रक

26. स्थाध्यक्ष	रथ सेनाध्यक्ष
27. संस्थाध्यक्ष	निजीव्यापार नियंत्रक
28. सीता ध्यक्ष	राजसी भूमि का अध्यक्ष
29. शुल्काध्यक्ष	सीमा शुल्क एवं चुंगी नियंत्रक
30. सूनाध्यक्ष	पशुओं का रक्षक एवं बूचड़ खाना नियंत्रक
31. सुराध्यक्ष	मदिरा नियंत्रक
32. सूत्राध्यक्ष	वस्त्र आयुक्त
33. सुवर्णाध्यक्ष	कीमती धातु एवं आभूषण अध्यक्ष
34. विविताध्यक्ष	चारागाह नियंत्रक

प्रान्तीय शासनः—चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया। इन प्रांतों को 'चक्र' कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नही बल्कि प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर पांच हो गयी जो निम्न है।

प्रांत	राजधानी	शासक
उत्तरा पथ	तक्षशिला	राजवंशीय
दक्षिणा पथ	सुवर्णगिरि	"कुमार"
अवान्तिराष्ट्र	उज्जयिनी	आर्यपुत्र
कलिंग	तोसली	आर्यपुत्र

कुमारामात्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। इनके अर्न्तगत विभिन्न विषय पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे।

मौर्य प्रशासन का स्तरीय खण्डः—साम्राज्य — (राजा के अधीन)
प्रान्त — (कुमार)
मंडल (कमिश्नरी)— (विषय पति)
आहार या विषय— (विषय पति)
स्थानीय— (800 ग्रामों का समूह)—(स्थानीय के अधीन)
द्रोणमुख— (400 ग्रामों का समूह)

खार्वटिक– (200 ग्रामों का समूह)

संग्रहण– (100 ग्रामों का समूह)

सैन्य व्यवस्थाः– सेना के संगठन हेतु पृथक् सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। (मेगास्थनीज) प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों होते थे। ये समितियाँ सेना के पांच विभागों की देखरेख करती थीं। ये क्रमशः जल, यातायात, रसद, पैदल, अश्वरोही, गज रथसेना की व्यवस्था करती थी। सैनिक प्रबंध अंतपाल देखता था। वह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास छः लाख पैदल, पचास हजार अश्व, नौ हजार हाथी तथा आठ सौ रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। इसे 12000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में "नवाध्यक्ष" के उल्लेख से मौर्यो के पास नौ सेना के होने का प्रमाण मिलता है।

न्याय व्यवस्थाः–मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। मौर्य न्यायव्यवस्था कठोर थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्श वादी था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी जहाँ ग्रामीण तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। उसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय का वर्णन है–

1. धर्मस्थीयन्यायालय
2. कष्टक शोधन न्यायालय

धर्मस्थानीय न्यायालयः– इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा (तीन धर्मस्थ – तीन अमात्य) करते थे। इन्हें दीवानी अदालत कहा जाता था। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हे "साहस" कहा जाता था धर्म स्थीय न्यायालय में पेश होते थे। कुवचन, मान, हानि मारपीट सम्बंधी मामले में धर्मस्थीय न्यायालय में लाये जाते थे।

कष्टक शोधन :–वर्तमान फौजदारी न्यायालय के समान था। इसके न्यायाधीश 3 प्रादेशिक तथा 3 अमात्य होते थे। राज्य तथा व्यक्ति के बीच विवाद इनके न्याय के विषय थे। विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें थीं। कारीगरों की अंगक्षति करने वालों को मृत्यु दण्ड दिया जाता था। राजकीय धन का घोटाला या कर की चोरी करने वाले को भी मृत्यु दण्ड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबाकर दण्ड दिया जाता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि युक्त नामक पदाधिकारी धन का

अपहरण कर लेते थे। जिले के न्यायालय के प्रमुख को रज्जुक कहा जाता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो अमात्य "धर्मोपदाशुद्ध" बनाया जाता था।

कौटिल्य के अनुसार :—मौर्य शासन व्यवस्था के चार अंग थे—

1. धर्म 2. व्यवहार 3. चरित्र 4. राजशासन

जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे जिनके अधिकार क्षेत्र में दस गांव होते थे। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यो की जांच करता था। साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ अर्द्धस्वशासित प्रदेश थे यहां स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी किन्तु अंतपालों द्वारा उनकी गतिविधि पर नियंत्रक रहता था। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केन्द्र एवं स्थानीय शासन के बीच सम्पर्क बना रहता था।

नगर प्रशासनः—मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन तीस सदस्यों का एक मण्डल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे—

समिति	कार्य
1. प्रथम समिति	उद्योग शिल्पों का निरीक्षण
2. द्वितीय समिति	विदेशियों की देखरेख
3. तृतीय समिति	जन्म मरण का लेखा जोखा
4. चतुर्थ समिति	व्यापार / वाणिज्य
5. पंचम समिति	निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण
6. षष्टम समिति	बिक्री का वसूल करना

रक्षिणः—नगर के अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी इन्हे रक्षिण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि तीन प्रकार के अधिकारी होते थे—

1. एग्रोनोमोई — जिलाधिकारी (मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी)
2. एण्डोनोमोई — नगर आयुक्त
3. सैनिक अधिकारी

अशोक के अभिलेखों में निम्न अधिकारियों का वर्णन है

1. **प्रादेशिक** :– जिलाधिकारी (अर्थव्यवस्था के प्रदेष्टा)
2. **महामात्र** :– उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से सम्बोधित था
3. **प्रतिवेदकः**–सम्राट को विभिन्न सूचनाएँ देता था। ग्राम मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। जो राजकीय कर्मचारी नहीं था। वरन उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था ।

गुप्तचर व्यवस्थाः–मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत गुप्तचर व्यवस्था सुसंगठित थी। इस विभाग में कई गूढ़ पुरूष (गुप्तचर) होते थे जो "महामात्यासर्प" के अधीन काम करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरूष कहा गया है। मौर्य प्रशासन में निम्न गुप्तचर प्राप्त होते हैं–

1. **संस्था** – जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे।
2. **संचार** – जो भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का कार्य करते थे।
3. **सत्र** – जो राज्य के खर्च कर पलते बढ़ते थे
4. **पुलीसानी** – लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था
5. **प्रतिवदेक** – विशेष संवाददाता
6. **चर** – अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर

मौर्यकाल में चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी का कार्य करती थी–वृषली, भिक्षुली, परिब्राजक

पुरुष गुप्तचर – 1. संति 2. त्रिष्णा 3. शरद

एरियन ने गुप्तचरों को "ओवर सियर"

स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को "इंस्पेक्टर" कहा है।

जूनागढ़ अभिलेख में गुप्तचरों को "राष्ट्रीय" कहा गया है।

विदेश विभाग

निसृष्टार्थ दूतः– 1. स्थायी तौर पर राजदूत काम करने वाले पदाधिकारी

1. **परिमितार्थ दूतः**–स्थायी दूत के निर्देश पर काम करने वाले अधिकारी
2. **शासन हार दूतः**–विशेष संदेशवाहक दूत
3. **अभय वेतमः**–

आर्थिक व्यवस्था

कृषिः—मौर्यकालीन भारत एक कृषि प्रधान राज्य था। इस काल में मूँठदार कुल्हाड़ियों, फाल, हंसिए आदि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। कृषि को क्षति पहुँचाने वाले कीड़े—मकोड़ों तथा पशु पक्षियों को समाप्त करने के लिए राज्य की और से गोपालक एवं शिकारी नियुक्त किये गये थे। वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूप रेखा तैयार की गयी। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। राज्य अपने पूर्ण अधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था। खान, नमक, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय जंगल राज्य की सम्पत्ति होती थी जो दो प्रकार के होते थे 1. हस्तिवन 2. द्रव्यवन। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी जिन्हे सम्मिलित रूप से "वार्ता" कहा जाता था।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में—

कृष्ट	—	जुटी हुई
अकृष्ट	—	बिना जुटी हुई
स्थल	—	ऊँची
अदैवमात्रक	—	बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि
दैवमात्रक	—	वर्षा से सिंचित भूमि

राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता है। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख मेगास्थनीज, स्ट्रैबो एवं एरियन ने किया है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 लिया जाता था। मेगास्थनीज 1/4 भाग बताता है। भूमिकर को भाग या बलि कहते थे। यह प्रायः अनाज के रूप में लिया जाता था। भूमिकर दो प्रकार की होती है—1. सेतुकर 2. वनकर राजकीय आय के लिए विभिन्न प्रकार के लिये जाते थे —

सीता	—	राजकीय भूमि से प्राप्त आय
भाग	—	उपज का हिस्सा
प्रवेश्य	—	आयात कर (20परसेन्ट)

निष्क्राम्य	–	निर्यात कर
प्रणय	–	आपातकालीन
बलि	–	भूराजस्व
हिरण्य	–	नकद कर
सेतुबंध	–	राज की ओर से सिंचाई का प्रबंध कराने पर
विष्टि	–	निःशुल्क श्रम का वेगार

सिंचाई की ओर प्रशासन विशेष ध्यान देता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमिकर एवं सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था। कृषि कर की मात्रा भूमि की उर्वराशक्ति पर निर्भर होती है।

चाणक्य के अनुसारः–

क्षेत्रक –भूस्वामी को कहा जाता था ।

उपवास –काश्तकार को कहा जाता था।

"स्वाम्य" –से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता था और उसे उसके क्रय–विक्रय का अधिकार मिल जाता था। **निर्याकस** ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती किये जाने का भी उल्लेख किया हैं।

सिंचाई के साधनः–

1. नदी, सर, तड़ाग और कूप द्वारा सिंचाई
2. डोल या चरस द्वारा कुएं से पानी निकालकर सिंचाई
3. बांध बनाकर संचालित चक्की द्वारा सिंचाई
4. बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट या चरस द्वारा कुएं से सिंचाई

उद्योगः–मौर्यकाल का प्रधान उद्योग सूत काटने एवं बुनने का था। कारखानों मे बनी वस्तुएं पण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थीं। व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे। इनका मुखिया श्रेष्ठि कहलाता था।

मुद्राः—लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे, तो उसे राज्य को ब्याज "रूपिका" और "परिक्षण" के रूप में देना पड़ता था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम इस प्रकार है—

1. कार्षापण या पण या धरण — यह चांदी का बना होता था
2. सुवर्ण — यह सोने का बना होता था
3. माषक — तांबे का सिक्का होता था
4. काकणी — तांबे के छोटे सिक्के

मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को "रूपदर्शक" कहा जाता था। मौर्यकाल तक व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्के का प्रचलन हो गया था। निम्नवत अधिकारी को 60 पण वेतन मिलता था। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी।

वस्त्रः—अर्थशास्त्र के अनुसार, काशी, वंग, पुण्ड्र, कलिंग मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे काशी और पुण्ड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल से वंग का मलमल विश्वविख्यात था। कौटिल्य ने चीनी पट्ट का भी उल्लेख किया है जिससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। अन्य वस्त्र —

दुकुल — श्वेत एवं चिकना वस्त्र
क्षौम — रेशमी वस्त्र
उद्योगः — 1. बढ़ई गीरी 2. कुम्भगीरी

उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान—महाश्रेष्ठि

उधार दिये जाने वाले धन पर वार्षिक ब्याज दर — 15 प्रतिशत

व्यापारः—जल तथा थल दोनों मार्गों से (आन्तरिक व्यापार) (वाह्य व्यापार)

↓ ↓

(कर 5 परसेन्ट) (कर 10 परसेन्ट)

मेगास्थनीज ने एग्रोनोमई नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है जो मार्गो की देखभाल के साथ 10 स्टेडियम पर स्तम्भ स्थापित करवाता था भारत का वाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस तथा पश्चिमी बंदरगाह— 1. ताम्रलिप्ति 2. भड़ौच

आंतरिक व्यापार के – तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तोसली

व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था।

महत्वपूर्ण करः–

1. पिण्डकर – ग्राम समूहों से
2. दुर्ग कर – नगरों से
3. राष्ट्रकर – देहात या जनपद से
4. सेतु – फल फूलों पर

देश के अन्दर प्रमुख व्यापारिक मार्ग

प्रथम मार्ग–ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती (उत्तरापथ) चम्पा, पाटलिपुत्र ,वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग , कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल, तक्षशिला इस मार्ग पर पड़ते है।

द्वितीय मार्ग –पश्चिमी में, पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था।

तृतीय मार्ग–दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था जिस पर महिष्मती, उज्जैन विदिशा नगर थे।

चतुर्थ मार्ग –भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था जिसके रास्ते में उज्जयिनी पड़ता था।

महत्वपूर्ण :–एरियन के अनुसार भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान जाते थे। नेपाल कंबल के लिए बंगाल हारबर के लिए प्रसिद्ध था। एरियन के अनुसार भारतीय सुन्दर श्वेत चमड़े के जूते पहनते थे। कर्टियश ने लोहे को श्वेत लोहा कहा है। निर्याकस के अनुसार भारतीय सूती कपड़ा पहनते थे जो विश्व के सूती कपड़े से अधिक सफेद तथा चमकीला था। मौर्यकाल में भारत में एवं मिस्र के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए मिस्र के टाल्मी ने लाल सागर के तट पर वर्निश नामक बंदरगाह स्थापित किया था। अर्थशास्त्र में समुद्री मार्गों के लिए "शयनपथ" शब्द का प्रयोग किया गया है। धम्म महामात्रों तथा अन्य अधिकारियों को अनुशयन कहा गया है।

उदक मांग – सिंचाई कर

मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगाडब्ग कहा गया है। प्रसाद देवदूतों द्वारा निर्मित था (फाह्यान)।

फसलेः–तीन फसलें मुख्य थी–

1. हैमन – रबी की फसल
2. गौल्मिक – खरीफ की फसल

3. केदार — जायद की फसल

समाज

कौटिल्यः—मौर्य कालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता हैं। कौटिल्य ने वर्णश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किये है। शूद्र को शिल्प कला एवं सेवा वृत्ति के अतिरिक्त, कृषि, पशुपालन करने की अनुमति थी। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा उसे म्लेच्छों से भिन्न माना गया है। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य (वार्ता) को शूद्रोधर्म बताया गया है। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा सम्पत्ति रखने का भी अधिकार था। अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद की अनुमति दी है। उसके लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। सभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अन्दर ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता लेकिन यूनानी लेखक उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। उन्हें सम्पत्ति रखने व बेचने का अधिकार था (अर्थशास्त्र)। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था तथा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त थी। इन्हें सूक्ष्मजीवी कहा जाता था। इनके कार्यो का निरीक्षण गाणिकाध्यक्ष करता था। नट, गायक, नर्तक, मनोरंजन कराते थे। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी तथा स्त्रीकलाकारों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। इन कलाकारों का गांवों में प्रवेश वर्जित था। प्रवहण एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में शिल्पियों को दुशत्वरित कहा जाता है। त्रिपिटिक में चार, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।

धर्मः—वैदिक धर्म प्रचलित था किन्तु कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्रहमण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। पंतजलि के अनुसार मौर्यकाल में देवताओं की मूर्तिकाओं को बनाकर बेचा जाता था। इन शिल्पकारों को देवताकारू कहा जाता था। मेगास्थनीज ने मंडनिकौर का सिंकदर से वार्तालाप का जो वृतांत दिया है उसे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवन का अंग कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्त भूमिदान में मिलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को 'ब्रह्मदेय' कहा गया है।

●●●